"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 — आषाढ़ 13, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7. — दिनांक 17-18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एड़समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2013 द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग को, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह क़े भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण समय-समय पर शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जाती रही है. विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-02-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 06 माह की वृद्धि की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 18-08-2017 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 19-08-2017 से दिनांक 18-02-2018 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.